

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजपू जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/ /2017/ दिनांक :


आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री लोकेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, छोटी सरवन, बांसवाडा।	01.01.1958	31.12.2017
2.	श्री कुलदीप सिंह चौहान, सहा. प्रशा. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, बीकानेर।	01.08.1958	31.07.2018
3.	श्री सीताराम दरोगा, वरिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकि. अधिकारी, सआदत चिकित्सालय, टोंक	16.08.1958	31.03.2018

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर,

दिनांक : 29/11/12

क्रमांक :- ई-18/एम/Vol-I /2017/2593

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर/बांसवाडा/टोंक।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सआदत चिकित्सालय, टोंक।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु. स्वा. केन्द्र, छोटी सरवन, बांसवाडा।
5. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
7. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर